फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी :-
श्री शमीम खां पठान पिता अमानत खां पठान निवासी –26 रामपुरा मेन रोड, भगवती किराणा स्टोर के पास उदयपुर (राज.)		1. अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा 2. तहसीलदार, कुशलगढ, बॉसवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 19 (01) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मु. नं. : 2/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.01.2022	श्री शमीम खां पठान की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2021 द्वारा चाही गयी सूचना अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा, तहसीलदार कुशलगढ द्वारा उपलब्ध नही कराने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। विपक्षी अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा, तहसीलदार कुशलगढ को सूचना–पत्र जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब सुनवाई हेतु दिनांक **11.02.2022** को पेश हो। (अंकित कुमार सिह) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	
11/2/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब प्रस्तुत शामिल मिसल हो। प्रार्थी की ओर से लोक सूचना अधिकारी (ADM) बांसवाड़ा को लिखे पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। प्रार्थी को सुनवाई हेतु पुनः सूचना पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/2/22 को पेश हो। जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)	
21.2.22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष [illegible] उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं.2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसकी प्रति अपीलांट [illegible] रेस्पोंडेंट सं.2 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार पत्रांक 21 दिनांक 14/2/2022 से अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराई गई। शेष सूचना से सम्बन्धित अभिलेख –Cont.–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिला कलक्टर (भू अभिलेख) शाखा कार्यालय हाजा में जमा होने से उनके पत्रांक 26-27 दिनांक 18/4/22 से प्रार्थना पत्र स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है शेष सूचना जिला कलक्टर (भू अभिलेख) से प्राप्त होने बाबत सूचित किया गया है। अपील फैसल शुमार करने निवेदन किया।

पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी को नियमानुसार सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने एवं यथासमय प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करने पर तहसीलदार कुशलगढ़ को चेतावनी दी जाती है। प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) अनुभाग कार्यालय हाजा को लिखा जाता है कि स्थानांतरित प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध होने पर प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावें।

अतः अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:01 IST
Reason: SelfAttested